(वाद सं0– 4541/4/11/2020)

03.08.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, कुसुम सिन्हा, सेवानिवृत ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वजीरगंज, गया को सेवानिवृति के 17 वर्ष के बाद भी उन्हें प्रथम एवं द्वितीय ACP/कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया से प्रतिवेदन की मांग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेवानिवृति के बाद पहली बार दिनांक–28.07.2020 को परिवादी द्वारा ACP/कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिये से सम्बन्धित आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन के आलोक में उन्हें प्रथम ACP/कालबद्ध प्रोन्नति व द्वितीय ACP/कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिये जाने का निर्देश सक्षम प्राधिकार को दिया गया।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे ACP/कालबद्ध प्रोन्नति के स्वीकृति के उपरान्त अभी तक आर्थिक लाभ का भुगतान नहीं हुआ है।

परिवादी के उक्त प्रत्युत्तर पर पुनः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया से प्रतिवेदन की मांग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **परिवादी को ACP/कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ व अन्य राशि का भुगतान कर दिया गया है, साथ ही साथ उक्त के आलोक में सम्बन्धित पेन्शन प्रपत्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भी भेजा जा चुका है।**

उक्त पर पुनः परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे 17 वर्ष के विलम्ब के

बाद ACP/कालबद्ध प्रोन्नति के अंतर राशि का भुगतान किया गया है, जिसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

अब जबकि परिवादी को देय ACP/कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है तो उक्त के आलोक में संशोधित पेन्शन प्रपत्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 37–29/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक